3.1.1

(1)

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी

विद्यावारिधि (पी-एच०डी०) उपाधि

अध्यादेश 2016/2021

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 की उपधारा-3 के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की विद्यावारिधि (पी-एच०डी०) उपाधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल०/पी-एच०डी० उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार पूर्ववर्ती अध्यादेश के स्थान पर सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी विद्यावारिधि (पी-एच०डी०) उपाधि अध्यादेश 2016 निर्मित किया गया था। विश्वविद्यालय के आदेश सं.एस.एस.वी.वी./शै. 60/2021 दिनाङ्क 05 जुलाई 2021 के अनुपालन में अध्यादेश के संशोधनोपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत है।

1.01- यह अध्यादेश सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी विद्यावारिधि (पी-एच०डी०) उपाधि अध्यादेश 2016/2021 कहा जायेगा।

1.02- यह संशोधित अध्यादेश 2021-22 से प्रभावी होगा।

विद्यावारिधि स्थान की गणना

2.01- किसी भी समय आचार्य (प्रोफेसर) के अधीन 08 (आठ), उपाचार्य/सह आचार्य (एसो. प्रोफेसर) के अधीन 06 (छह) तथा प्राध्यापक/सहायक आचार्य (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) के अधीन 04 (चार) से अधीक छात्र पंजीकृत नहीं हो सकते है।

2.02- उपर्युक्त मानक एवं संख्या के आधार पर पूर्व से पंजीकृत छात्रों की संख्या का विचार करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा वार्षिक आधार पर शोध निर्देशक के अधीन संभावित रिक्तियों की प्रवन्धनीय संख्या का निर्धारण संकाय सदस्यों के साथ परामर्श करके, सम्बन्धित संकायाध्यक्ष के माध्यम से कुलसचिव के पास भेजा जायेगा। रिक्ति के साथ विषय या विभाग से सम्बन्धित व्यापक क्षेत्र एवं अनुषङ्गी क्षेत्र का भी उल्लेख होगा।

2.03- विद्यावारिधि (पी-एच०डी०) के लिए उपलब्ध स्थानों का निर्धारण पर्याप्त समय से पूर्व करके, इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तथा विज्ञापन में प्रदर्शित किया जायेगा। विश्वविद्यालय विद्या-वारिधि के लिए उपलब्ध स्थानों का [illegible] विज्ञापन और नियमित क्रम से प्रवेश पंजीकरण करेगा।

2.04- प्रत्येक विभाग की रिक्तियों का विभाजन, राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अन्तर्गत ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) और क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) रूप में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित वर्गीकरण के साथ रहेगा।

2.05- अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत बहुविभागीय अन्तर्विषयी संस्थानों में विद्यावारिधि (पी-एच०डी०) हेतु मूल्यांकन, [illegible] की पद्धति नियमित विभागों के समान ही होगी।

2.06- [illegible] संस्थानों में तब तक कोई आंतरिक स्थान नहीं हो सकता जब तक ऐसे संस्थानों में पूर्णकालिक नियमित अध्यापकों की नियुक्ति न हो जाय। अन्य किसी रूप में ऐसे संस्थानों से सम्बद्ध अध्यापकों के अधीन इन संस्थानों में पंजीकृत छात्रों की संख्या को [illegible] अध्यापक के मूल विभाग [illegible] संख्या के साथ सम्मिलित किया जायेगा, जो कि आचार्य के अधीन [illegible] तथा उपाचार्य/सह आचार्य के [illegible] आचार्य के अधीन [illegible] से अधिक नहीं होगी। [illegible] संख्या भी 02.01 [illegible] नहीं होगी।

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

3.01- विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी को परिनियम में सहायक आचार्य (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) की नियुक्ति के लिए पी-एच.डी. को छोड़कर निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के सम्बद्ध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि तथा अर्हता की अन्य शर्तें (उत्तम शैक्षिक अभिलेख, तथा अन्य योग्यतायें यदि कोई हो) पूरी करनी होगी।

परन्तु अनुसन्धानोपाधि समिति ऐसे अभ्यर्थी, जो कि अनुषङ्गी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो, को विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) उपाधि हेतु प्रवेश देने पर विचार कर सकती है। ऐसे छात्र जो स्नातकोत्तर परीक्षा के अन्तिम प्रक्रिया वर्ष या अन्तिम सत्र (सेमेस्टर) की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, विद्या-वारिधि उपाधि प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए इस शर्त के अधीन अर्ह होंगे कि परीक्षा परिणाम आने पर न्यूनतम अर्हता पूरी करते हैं।

3.02- आयुर्वेद संकाय में जो छात्र एम.डी. (आयुर्वेद) उपाधि अथवा इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य विश्वविद्यालय की समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि धारित करते हैं, सम्बद्ध विषय में विद्या-वारिधि (पी-एच.डी.) में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

3.03- एम.फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम कुल 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बिन्दु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त कर सफलतापूर्वक एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने वाले (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिन्दु मानक पर समतुल्य ग्रेड) अभ्यर्थी शोध करने हेतु पात्र होंगे जिससे वे उसी संस्थान में समेकित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) उपाधि अर्जित कर सकें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर लाभान्वित श्रेणी (नॉन क्रिमीलेयर) पृथक् रूप से निशक्त से सम्बद्ध हैं अथवा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात् अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

3.04- कोई व्यक्ति जिसके एम.फिल. शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन किया गया है तथा मौखिक साक्षात्कार लम्बित है, उस संस्थान/विश्वविद्यालय के विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है।

3.05- अभ्यर्थी जिनके पास किसी भारतीय संस्थान की एम.फिल. उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो कि विदेशी शैक्षिक संस्थान से है, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो शैक्षिक संस्थानों की अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, ऐसे अभ्यर्थी विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया

4.01- यह विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति (मोड) में विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) कार्यक्रम का संचालन नहीं करेगा।

4.02 विश्वविद्यालय एक प्रवेश परीक्षा विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) हेतु सामान्य अर्हता परीक्षा (सेट) के माध्यम से ही छात्रों को प्रवेश प्रदान करेगा।

28-8-2021 28/8/21 28/08/2021

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

CamScanner

4.03- उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 7 की उपधारा 8 के अन्तर्गत यह विश्वविद्यालय निर्धारित विषयों/अनुशासनों में "विद्यावारिधि(पी.-एच.डी.)" के लिए **प्रतिवर्ष सामान्य योग्यता परीक्षा जिसे सेट कहा जायेगा, आयोजित करेगा।**

4.04- दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/विषयवार संवितरण, दाखिले का मानदण्ड, प्रवेश की प्रक्रिया, शुल्क तथा इसके भुगतान का तरीका, आरक्षण, पाठ्यक्रम, कार्ययोजना, आवेदनपत्र का जमा होना, परीक्षा केन्द्र जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा अभ्यर्थियों के लाभ के लिए अन्य सभी संगत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तथा कम से कम दो (02) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पहले ही जारी करें जिनमें एक समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा में हो।

4.05- प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य सम्बन्धित सांविधिक निकायों द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों/मानदंण्डों तथा समय-समय पर राज्य सरकार की आरक्षण नीति को मद्देनजर रखते हुए की जायेगी।

4.06- प्रवेश परीक्षा मात्र अर्हक परीक्षा होगी जिसमे न्यूनतम 50% अर्हता अंक होंगे।

लिखित परीक्षा में लघूत्तरीय प्रश्नों पर आधारित दो प्रश्नपत्र होंगे।

प्रथम पत्र में कुल 100 अंको के बहु-विकल्पात्मक वस्तुनिष्ठ 100 प्रश्न पूछे जायेंगे जो कि सामान्य ज्ञान, अकादमिक अभिवृत्ति, विषय पर ज्ञान के मूल्यांकन के लिए होगा जिसकी समयावधि 02 घण्टे की होगी। इसमें ऋणात्मक अंक नहीं होंगे।

दूसरा प्रश्नपत्र शोध प्रविधि पर आधारित होगा जिसमें विषय विशेषज्ञता, शोध अभिवृत्ति और विषय ज्ञान का मूल्यांकन आदि विषयाधारित 100 अंको के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। इसकी समयावधि भी 02 घण्टे की होगी। इसमें ऋणात्मक अंक नहीं होंगे।

4.07- विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नपत्रों का दो सेट तैयार किया जायेगा। यदि आवश्यक होगा तो अन्य राज्य विश्वविद्यालयों से भी सहयोग लिया जा सकता है, मूल्यांकन की दृष्टि से प्रश्नपत्र निर्माण कर्ता से उत्तर सूची भी मांगी जायेगी।

4.08- प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में होगा। विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के बाहर भी आयोजित किया जा सकता है जहाँ पर पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हों।

4.09- विश्वविद्यालय सफल अभ्यर्थियों का अंको के आधार पर श्रेणीवार योग्यता क्रम (मेरिट लिस्ट) बना कर अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा। किन्तु पंजीकरण हेतु रिक्त सीटों में एक सीट के सापेक्ष अधिकतम तीन अभ्यर्थियों को अनुसन्धानोपाधि समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु आहूत किया जाएगा।

4.10- श्रेणीवार योग्यता/अंक प्राप्ति प्रमाणपत्र निर्गत तिथि से एक साल तक मान्य/प्रभावी होगा। किन्तु यदि विश्वविद्यालय अध्यादेश की व्यवस्था 04.3 के अनुक्रमों की प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करता है, तो अगली प्रवेश परीक्षा के पूर्व तक पूर्व प्रवेश परीक्षा की मेरिट मान्य की जा सकेगी।

4.11 विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर (पी-एच.डी.) के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रखरखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थी का नाम, शोध का विषय, पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक, नामांकन/पंजीकरण की संख्या व तिथि आदि शामिल होगी।

28-8-2021 28.8.21 28/08/2021

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

CS CamScanner

पात्रता परीक्षा में छूट

4.12(क) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाने वाले नियमों के अन्तर्गत आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय छात्र (अनिवासी भारतीय सहित) जो विश्वविद्यालय द्वारा लागू किये गये प्रवेश नियम तथा शुल्क इत्यादि को स्वीकार करें।

4.12(ख) विश्वविद्यालय विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) प्रवेश परीक्षा हेतु पृथक् निबन्धन एवं शर्तों का निर्णय करेगा, जिन छात्रों ने यूजीसी नेट/जे.आर.एफ., यूजीसी सीएसआईआर-नेट/जे.आर.एफ./स्लेट/गेट/शिक्षक अध्येतावृति उत्तीर्ण कर लिया है, उन्हें प्रवेश परीक्षा से छूट की जा सकेगी।

4.12(ग) भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, पैरा मिलिट्री फोर्स के ऐसे अधिकारी जो 15 वर्षों की सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं और कम से कम कर्नल स्तर पर कार्यरत हों, उन्हें रक्षा एवं अध्ययन विषय में शोध हेतु।

प्रवेश प्रक्रिया

5.01- अध्यादेश 4.09 अथवा 4.10 में वर्णित योग्यता वाले अभ्यर्थी अपने समस्त अंक पत्रों/उपाधि पत्रों, प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति के साथ विश्वविद्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र पर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए रू. 1000/- (एक हजार) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू. 500/-(पाँच सौ) जमा करके प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे।

5.02- सामान्यतः किसी भी अभ्यर्थी को विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) हेतु उसी विषय/विभाग में प्रवेश प्राप्त होगा जिस विषय में वह स्नातकोत्तर उपाधि रखता है।

5.02.1- विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) उपाधि हेतु ऐसे शोध कार्य को जो उसी अथवा अन्य संकाय के अनुषङ्गी विषय में भी अनुमति दी जा सकेगी, यदि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष अथवा संस्थान के निदेशक की संस्तुति पर अनुसंधानोपाधि समिति (आर.डी.सी.) संतुष्ट हो जाती है कि अभ्यर्थी प्रस्तावित अन्तर अनुशासनात्मक शोध कार्य के लिए अपेक्षित अर्हता व क्षमता रखता है।

5.03- प्रत्येक विभागों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार के लिए अनुसंधानोपाधि समिति की बैठक कुलसचिव द्वारा विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर कुलपति की अनुमति से बुलायी जायेगी। अनुसन्धानोपाधि समिति आवेदकों का साक्षात्कार लेगी तथा साक्षात्कार में प्रस्तुति एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर समान प्रतिशत का निर्धारण करते हुए सफल आवेदकों का योग्यता क्रम निर्धारित करेगी।

5.03.1- राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अन्तर्गत श्रेणीवार योग्यता क्रम से प्रवेश होगा।

नोट - जीवित व्यक्तियों पर शोध कार्य अनुमत नहीं होगा।

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

पाठ्यक्रम कार्य

6.01- विद्यावारिधि (पी-एच॰डी॰) पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम 03 वर्ष की होगी जिसमें पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कार्य भी शामिल होगा तथा अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

6.02- प्रत्येक प्रविष्ट अभ्यर्थी को न्यूनतम 06 माह की अवधि वाला एक अधिसत्र का पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) विश्वविद्यालय की व्यवस्था के अन्तर्गत पूरा करना अनिवार्य होगा।

6.03- पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके शोधार्थियों की प्रगति संतोषजनक होने की दशा में तीन वर्ष की समयावधि पूर्ण होने के बाद शोध पर्यवेक्षक के अधीन स्थान रिक्त माना जायेगा।

6.04- सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को रू. 25000/- (पच्चीस हजार) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रू. 12500/- (बारह हजार पाँच सौ) शुल्क जमा करना होगा।

6.05- विश्वविद्यालय में कोर्स वर्क का संचालन एक समन्वय समिति जिसमें सभी संकायाध्यक्ष सदस्य होंगे तथा वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष अध्यक्ष एवं निदेशक, अनुसंधान संस्थान सचिव होंगे। कुलपति आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय के किन्हीं दो अन्य अध्यापकों को सदस्य मनोनीत कर सकेंगे।

6.06- पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की परीक्षा में बैठने के लिए सभी कक्षाओं में न्यूनतम उपस्थिति (प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक अलग-अलग) 75% होगी। अस्वस्थता, क्रीड़ा या पाठ्येतर गतिविधि में सहभागिता की स्थिति में आवश्यक उपस्थिति हेतु निम्न नियम लागू होंगे।

6.06(क) 5% की छूट सम्बन्धित सचिव समन्वय समिति द्वारा समन्वय समिति की संस्तुति पर दी जा सकेगी।

6.06(ख) समन्वय समिति की स्पष्ट संस्तुति पर कुलपति द्वारा 10% तक की छूट दी जा सकेगी। उपर्युक्त छूट के पश्चात् भी 65% की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

6.7- यदि कोई छात्र प्रथम प्रयास में कोर्स वर्क की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे अगले कोर्स वर्क की नियमित परीक्षा में सम्मिलित होने का मात्र एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

उपस्थिति की कमी के कारण परीक्षा में सम्मिलित न हो सकने की स्थिति में छात्र रू. 5000/- (पाँच हजार) शुल्क जमा कर नियमित क्रम में आयोजित होने वाले अगले पाठ्यक्रम कार्य में पूर्णकालिक अध्ययन कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उसके प्रवेश की तिथि दूसरे पाठ्यक्रम कार्य के प्रारम्भ होने की तिथि मानी जायेगी। किन्तु उसके पश्चात् कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

6.08 महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40% से अधिक हो) उन्हें विद्यावारिधि (पी-एच॰डी॰) के लिए अधिकतम 02 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त, महिला अभ्यर्थियों को एम.फिल./विद्यावारिधि की समग्र अवधि में एक बार 240 दिन का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

6.09 विद्यावारिधि कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निहित पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

6.10 जो अभ्यर्थी एम.फिल. में पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य पूर्ण कर लिया है तथा जिन्हें विद्यावारिधि समेकित पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गयी है, उन्हें विभाग द्वारा विद्यावारिधि पाठ्यक्रम कार्य में छूट प्रदान की जा सकती है।

28-08-2021

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

6.11- विद्यावारिधि शोधार्थी को पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य में न्यूनतम 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 7 बिन्दु मानक पर इसके समकक्ष ग्रेड (जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाती है समकक्ष ग्रेड/सीजीपीए) प्राप्त करना होगा ताकि वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र हो तथा उसे शोध प्रबन्ध/थीसिस जमा करनी होगी।

शोध प्रारूप का प्रस्तुतीकरण

7.01- पाठ्यक्रम कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् छात्र अपने द्वारा चयनित विषय/क्षेत्र के अनुकूल किसी उपलब्ध मार्ग निर्देशक से चर्चा करके विद्यावारिधि (पी-एच०डी०) उपाधि हेतु शोध प्रारूप कम से कम तीन प्रस्तावित शोध निर्देशक के नाम के साथ प्रस्तुत करेगा।

7.02- शोध प्रारूप को अनुसंधानोपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा (जिसे आगे आर०डी०सी० कहा जायेगा) जो प्रत्येक विभाग के लिए अलग, निम्न प्रकार से गठित होगी।

(क) कुलपति, अध्यक्ष

(ख) सम्बन्धित संकायाध्यक्ष या अनुसंधान संस्थान का निदेशक, सदस्य

(ग) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष संयोजक

(घ) (ख) एवं (ग) में वर्णित सदस्यों से परामर्शपूर्वक कुलपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ सदस्य जिनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

कुलपति किसी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति को सदस्य के रूप में आमन्त्रित कर सकेंगे।

7.03- अनुसन्धानोपाधि समिति एक साक्षात्कार की व्यवस्था करेगी, जिसमें प्रस्तुतिकरण, समूह चर्चा, या मूल्यांकन की अन्य पद्धति समाविष्ट रहेगी।

7.04- ऐसे शोधार्थी जो पाठ्यक्रम कार्य पूरा कर चुके हैं, अनुसन्धानोपाधिसमिति के समक्ष शोध प्रारूप प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होंगे। मार्गनिर्देशक भी इस समिति में उपस्थित हो सकते हैं, जिससे समिति आश्वस्त हो सके कि मार्गनिर्देशक के निर्देशन में शोधकार्य सुचारु रूप से सम्पादित हो सकेगा, अभ्यर्थी के पास आवश्यक योग्यता है तथा यथेष्ट सुविधायें एवं उपकरण, विभाग में, अनुसन्धान केन्द्र में अथवा सम्बन्धित संस्था में उपलब्ध हैं।

7.05- अभ्यर्थी से यह अपेक्षा होगी कि साक्षात्कार के समय वह अपने प्रस्तावित शोध तथा उसमें रुचि के सम्बन्ध में चर्चा करे।

7.06- अनुसन्धानोपाधि समिति जिन अभ्यर्थियों के शोध प्रारूप को स्वीकार करने योग्य पायेगी उनके लिए उचित मार्ग निर्देशक का निर्धारण करेगी।

7.07 यदि अनुसंधानोपाधि समिति यह पाती है कि शोध प्रारूप स्तरीय नहीं है तो निश्चित सुझावों के साथ उसको सुधारने के लिए कहेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सुधार करने के पश्चात् शोध प्रारूप को पुनः स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा। संशोधित शोध प्रारूप अनुसंधानोपाधि समिति की बैठक की तिथि के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। यदि अनुसंधानोपाधि समिति संशोधित बिन्दुओं से सन्तुष्ट हो जाती है तो अभ्यर्थी को शोध की अनुमति प्रदान करेगी।

7.08 यदि शोध प्रारूप अस्वीकृत हो जाता है तो अभ्यर्थी अस्वीकृति की तिथि से दो माह के अन्दर नया शोध प्रारूप प्रस्तुत कर सकेगा। जो कि अनुसंधानोपाधि समिति की अगली बैठक में रखा जायेगा इस प्रस्तुतीकरण के पश्चात आगे कोई मौका नहीं दिया जायेगा।

28-08-2021 26/8/21 26.08.21 28/08/2021

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

7.09- विद्यावारिधि के लिए पूर्व में निश्चित संख्या में ही प्रवेश लिया जायेगा।

7.10- अभ्यर्थी को प्रवेश प्रदान करते समय विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की आरक्षण नीति को सम्यक् रूप से ध्यान में रखा जायेगा।

7.11- किसी भी अभ्यर्थी को सरकार द्वारा अनुदानित/सम्बद्ध/सहयुक्त/अंगीभूत महाविद्यालय में जहाँ 10 वर्षों से स्नातकोत्तर अध्ययन का नियमित विभाग संचालित हो, शोध कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

मार्ग निर्देशक (शोध पर्यवेक्षक) का निर्धारण

8.01- विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रूप से आचार्य जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पाँच शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हैं और विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय का कोई नियमित सह/सहायक आचार्य जो विद्यावारिधि उपाधि धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये गये हों उसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विधाओं में जहाँ कोई भी संदर्भित पत्रिका नही हो अथवा केवल सीमित संख्या में संदर्भित पत्रिका हो, तो संस्थान किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

8.02- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं जो 08.01 की शर्तें पूर्ण करते है, बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है। तथापि विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से अथवा अन्य सम्बद्ध संस्थानों से अन्तर-विषयी क्षेत्रों में सह-पर्यवेक्षकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

8.03- चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक के निर्धारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक विद्वानों की संख्या पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता तथा विद्वानों की शोध रुचि, जैसा कि उनके द्वारा साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, जिसके आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

8.04- ऐसे शोध शीर्षक जो अन्तर विषयी स्वरूप के है जहाँ सम्बन्धित विभाग यह महसूस करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाएगा और विभाग/संकाय/महाविद्यालय से एक सह-पर्यवेक्षक को ऐसी निबंधन की शर्तों पर सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया जायेगा जैसा कि सहमति प्रदान करने वाले संस्थान/महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा और जिन पर आपस में सहमति बनेगी।

8.05 किसी एक समय के दौरान कोई भी आचार्य पद पर नियुक्त पदधारी, शोध पर्यवेक्षक/सहपर्यवेक्षक के रूप में तीन (03) एम.फिल. तथा आठ (08) विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) शोधार्थियों से अधिक को मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकता है। और सह आचार्य, शोध पर्यवेक्षक के रूप में अधिकतम दो (02) एम.फिल. तथा छः (06) विद्यावारिधि शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक आचार्य अधिकतम एक (01) एम.फिल. तथा चार (04) विद्यावारिधि शोधार्थियों का मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

28-8-2021 28/8/21 26.08.21 28/08/2021

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

CamScanner

8.06- विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी एम.फिल./विद्यावारिधि महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आँकड़ो को ऐसे विश्वविद्यालय को अन्तरित करने की अनुमति होगी जहाँ शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों की अन्य सभी निबन्धन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाय तथा शोधकार्य किसी भी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व किये गये शोध कार्य के अंको के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

8.07- यदि कोई शोध अध्येता अपने नियमित शोध अवधि में शोध प्रबन्ध जमा नहीं कर पाता है तो शोध निर्देशक का परिवर्तन नियमानुसार किया जायेगा।

8.08- चयनित छात्रों के लिए शोध निर्देशक का निर्धारण विभाग या संस्थान द्वारा प्रति अध्यापक छात्र संख्या, उपलब्ध अध्यापक, निर्देशकों की विशेषज्ञता तथा छात्र के द्वारा साक्षात्कार में प्रदर्शित शोध रुचि इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विधिवत् किया जायेगा। शोध निर्देशक का निर्धारण किसी एक अध्यापक या शोध के ऊपर नहीं छोड़ा जायेगा।

8.08(क) कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों या अनुसंधान संस्थान निदेशकों से परामर्शपूर्वक अध्यादेश 8.01 के अनुसार शोध निर्देशक नामित होने के योग्य अध्यापकों की सूची तैयार की जायेगी। इसी विधि से सूची में नये नाम जोड़े तथा हटाये जायेंगे।

8.08(ख) कोई मार्ग निर्देशक अपने अधीन ऐसे शोध छात्र को पंजीकृत नहीं कर सकेगा जो रक्त या विवाह द्वारा उसका सम्बन्धी है।

स्पष्टीकरण - इस अध्यादेश में "सम्बन्धी" का तात्पर्य उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 के स्पष्टीकरण में दिये गये सम्बन्धों से है।

8.09- सामान्यतया शोध का निर्देशक परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। किन्तु विशेष स्थिति में जहाँ विभागाध्यक्ष को यह समाधान हो जाये कि शोध निर्देशक परिवर्तन के बिना अध्येता का शोध सम्पन्न नहीं हो सकेगा तब परिवर्तन निम्न स्थिति में हो सकेगा-

क) मार्गनिर्देशक का अन्यत्र गमन, सेवानिवृत्ति, दीर्घकालीन अवकाश या ऐसा अन्य कोई कारण जिसके फलस्वरूप शोध निर्देशक अध्येता के शोध मार्गदर्शन हेतु उपलब्ध न हो।

ख) यदि निर्देशक मार्गदर्शन की इच्छा न रखता हो अथवा इस स्थिति में न हो कि शोध निर्देशन कर सके।

ग) किसी ऐसी असाधारण स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर जो कि इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता को अपरिहार्य करती हो।

उपर्युक्त स्थितियों में विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर अनुसंधानोपाधि समिति शोध निर्देशक परिवर्तित करने के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति कुलपति को प्रेषित करेगी जिस पर कुलपति निर्देशक परिवर्तन अनुमत कर सकेंगे।

8.10 अनुसंधानोपाधि समिति अपने विवेक से यह भी निर्णय ले सकती है कि शोध निदेशक परिवर्तन के फलस्वरूप अथवा तो नवीन पंजीकरण किया जाये अथवा पुराना पंजीकरण ही विद्यमान रहे।

8.11 विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध/सहयुक्त/अंगीभूत महाविद्यालय के अध्यापक 5 वर्ष की नियमित पूर्णकालिक सेवा पूरी करने के पश्चात अत्यन्त विशेष परिस्थिति में बिना शोध निर्देशक के भी अपना

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर सकेंगे। परन्तु ऐसे अध्यापक को प्रवेश हेतु विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में आवेदन कर नियमानुसार प्रवेश प्राप्त करना, सफलतापूर्वक कोर्स वर्क पूर्ण करना तथा निर्धारित शुल्क सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग को रू. 25000/-(पच्चीस हजार) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को रू. 12500 (बारह हजार पाँच सौ) मात्र जमा करना एवं अपने सम्बद्ध विभाग में निर्धारित उपस्थिति पूरा करना आवश्यक होगा।

इस रूप में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन की पद्धति तथा परीक्षा शुल्क वही होगा जो कि सामान्य पञ्जीकरण के पश्चात् प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पर लागू होगा। ऐसे शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त परीक्षक का निर्धारण अनुसंधानोपाधि समिति द्वारा किया जायेगा।

शोध-प्रबन्ध का प्रस्तुतीकरण

9.01- अभ्यर्थी के छात्रत्त्व अवधि की गणना उस तिथि से की जायेगी जिस तिथि को अभ्यर्थी ने अध्यादेश की धारा 6.03 में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत कोर्स वर्क प्रारम्भ होने के पूर्व निर्धारित सम्पूर्ण शुल्क जमा किया है।

9.02- किसी अभ्यर्थी के पंजीकरण का बना रहना उसके संतोषजनक प्रगति और उत्तम आचार व्यवहार पर निर्भर करेगा। विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि किसी अभ्यर्थी का पंजीकरण उसके अन्यथा व्यवहार या प्रगति रिपोर्ट के आधार पर निरस्त कर दे।

9.03- शोधार्थी छः माह में एक बार अनुसंधानोपारिधि समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में एक प्रस्तुति देगा।

9.04 विद्यावारिधि के लिए पंजीकृत किसी भी अभ्यर्थी से यह अपेक्षा होगी कि वह विश्वविद्यालय/मुख्यालय पर रहते हुए अपने शोध निर्देशक के अधीन कोर्स वर्क सहित 36माह से अन्यून अवधि तक निर्धारित विषय पर शोध कार्य सम्पन्न करे। जिसमें कोर्स वर्क की समाप्ति के पश्चात् अनुसंधानोपारिधि समिति द्वारा शोध प्रारूप स्वीकृत होने के पश्चात् विभाग में 270 दिनों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

9.04(क) उपस्थिति विभागाध्यक्ष के पास रखी जायेगी। परन्तु किसी भी शोध छात्र के लिए उपर्युक्त उपस्थिति के साथ ही 03वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् तथा 06वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक सम्पूर्ण कार्य दिवस का 60% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.04 (ख) नियमित/स्थायी रूप से सेवारत शोधार्थियों को पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त एक वर्ष में न्यूनतम 60 दिन अपने निर्देशक/विभाग में उपस्थिति आवश्यक होगी जिसका प्रमाणपत्र निर्देशक द्वारा संकायाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

9.04 (ग) शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष तथा संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर कुलपति किसी अभ्यर्थी को शोध सामग्री संचयन या प्रायोगिक शोध कार्य हेतु एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विश्वविद्यालय से बाहर रहने की अनुमति दे सकते हैं परन्तु यह अनुमति प्रथम 06 माह में नहीं दी जायेगी। कार्य समाप्त होने पर सम्बन्धित स्थान पर कार्य हेतु उपस्थिति का सम्यक् प्रमाण तथा प्रगति आख्या प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9.04(घ) निर्देशक, विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर कुलपति किसी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के अधिकारिता क्षेत्र या अधिकारिता क्षेत्र के बाहर के किसी केन्द्र पर जिसके साथ सहमति ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हो तथा [illegible] स्वीकृति प्राप्त हो, करने के लिए अनुमत कर सकेंगे।

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

CamScanner

बशर्ते छात्र के लिए एक सह-निर्देशक जो सम्बद्ध केन्द्र पर आचार्य (प्रोफेसर) से अन्यून पद पर कार्यरत हो उपलब्ध हो सके।

9.05- कोई अध्येता अपनी शोध योजना अनुसंधानोपारिधि समिति की स्वीकृति से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व परिवर्तित कर सकेगा। संशोधन को निर्देशक, विभागाध्यक्ष तथा संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर अनुसंधानोपारिधि समिति की अगली बैठक में रखा जायेगा।

9.06- यदि कोई छात्र 6वर्ष के अन्दर अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह विश्वविद्यालय का वास्तविक (बोनाफाइड) छात्र नहीं रहेगा और छात्रों को प्राप्त अधिकार एवं सुविधाओं का पात्र नहीं होगा।

9.07- परन्तु यह भी कि निर्देशक, विभागाध्यक्ष, एवं संकायाध्यक्ष की समवेत संस्तुति पर यदि कोई छात्र 6 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के पश्चात् शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करता है तो उसे रू. 2000/- (दो हजार) अतिरिक्त शुल्क जमा करने पर शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने हेतु अधिकतम एक वर्ष का समय कुलपति द्वारा अनुमन्य किया जा सकता है।

9.08- शोध छात्र शोध प्रबन्ध जमा करने के पूर्व सम्बद्ध विभाग में एक विद्यावारिधि पूर्व प्रस्तुतिकरण (प्री पी-एच.डी. प्रेजेन्टेशन) करेगा। जिसमें सभी संकाय सदस्य, शोध छात्र भाग ले सकेंगे तथा आवश्यक सुझाव एवं टिप्पणी दे सकेंगे। निर्देशक की सहमति से अपेक्षित और आवश्यक सुझावों को शोध प्रबन्ध में सम्मिलित किया जायेगा। शोध छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जायेगा।

9.09- शोध छात्र द्वारा शोध प्रबन्ध को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व किसी सन्दर्भित पत्रिका में अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा मान्य शोध पत्रिका में न्यूनतम एक (01) शोध पत्र प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रमाण के लिए प्रकाशित शोध पत्र का प्रति मुद्रण (रीप्रिन्ट) या स्वीकृति शोध प्रबन्ध के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9.10(क) संकायाध्यक्ष, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष व शोध निर्देशक की सहमति से शोध छात्र के विषय शीर्षक में लघु परिवर्तन अनुमत कर सकेंगे, किन्तु यह शोध प्रबन्ध जमा करने की तिथि से छ (6) माह पूर्व ही हो सकेगा।

9.10(ख) बृहद् परिवर्तन या शीर्षक में बदलाव होने की स्थिति में यह नवीन पञ्जीकरण समझा जायेगा। और ऐसी स्थिति में शोध प्रबन्ध, परिवर्तन के दो वर्ष के पश्चात् जमा होगा।

9.11 एम.फिल. उपाधि के लिए प्रस्तुत किया जा चुका शोध प्रबन्ध पुनः विद्यावारिधि उपाधि के लिए स्वीकार नहीं होगा। यद्यपि कि इसके कुछ अंशो का उपयोग विद्यावारिधि शोध प्रबन्ध के लिए किया जा सकता है। नूतन आविष्कार अथवा नूतन अर्थान्वयन द्वारा शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित क्षेत्र में यथार्थ योगदान करने का प्रमाण शोधार्थी एवं निर्देशक द्वारा होना चाहिए।

9.12(क) जब शोध प्रबन्ध जमा होने के लिए तैयार होगा तो अध्येता अपने शोध निर्देशक के माध्यम से यह आवेदन करेगा कि उसका शोध प्रबन्ध पूर्ण होने की स्थिति में है। यह आवेदन शोध प्रबन्ध पूर्ण होने के तीन (3) माह पूर्व किया जायेगा।

9.12(ख) यह आवेदन सम्बद्ध विभागाध्यक्ष अध्ययन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अध्ययन बोर्ड छः (6) से अन्यून बाह्य विशेषज्ञों के नाम नामिका (पैनल) की संस्तुति करेगा जिसमें आचार्य (प्रोफेसर) के स्तर

28-8-2021 28/08/21 28-08-21 28/08/2021

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

CamScanner

से कम का व्यक्ति नहीं होगा। नामिका में कम से कम तीन नाम राज्य के बाहर के होंगे। प्रत्येक विशेषज्ञ का नाम, पता ईमेल पता, फैक्स, मोबाईल नं॰ आदि उल्लिखित होगा। नामिका में शोधनिर्देशक का नाम भी उल्लिखित किया जायेगा और वह भी एक परीक्षक होगा। मार्ग निर्देशक इस हेतु अध्ययन बोर्ड सदस्य अनुमेलित किया जायेगा। कुलपति इस नामिका में से मार्ग निर्देशक सहित तीन (03) परीक्षक नियुक्त करेंगे जो निर्धारित पद्धति से शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन करेंगे। इसमें एक परीक्षक विदेश से भी हो सकते है।

9.12(ग) छः (06) माह की निर्धारित अवधि में शोध प्रबन्ध न जमा होने की स्थिति में पैनल कालातीत हो जायेगा तथा शोध प्रबन्ध प्रस्तुत होने पर अध्ययन बोर्ड पुनः नया पैनल संस्तुत करेगा।

9.12(घ) हर तरह से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा कि विश्वविद्यालय की दृष्टि से यह पैनल प्रतिनिधत्वात्मक प्रकृति का हो और एक विश्वविद्यालय से एक से अधिक नाम नामिका में नहीं होंगे।

9.13(क) शोध छात्र द्वारा शोध प्रबन्ध की मुद्रित या टंकित प्रतियाँ जो पूर्व में प्रकाशित न हो शोध सारांश की तीन (03) प्रतियां तथा शोध प्रबन्ध की पी॰डी॰एफ॰ प्रारूप में साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा सम्बन्धी छल-कपट का पता लगाने के लिए दो सी॰डी॰ स्वीकृत शोध प्रारूप के साथ मूल्यांकन के हेतु प्रस्तुत की जायेगी। प्रकाशित सामग्री को भी उसके सन्दर्भ का उल्लेख करते हुए शोध प्रबन्ध में समाविष्ट किया जा सकेगा।

9.13(ख) शोध प्रबन्ध/थीसिस को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जायेगी तथा शोध निर्देशक द्वारा कार्य की मौलिकता के लिए अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमे यह आश्वासन दिया जायेगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गयी है।

N-3.1.7.2 9.13(ग) शोध प्रबन्ध की भाषा सामान्यतः संस्कृत, प्राकृत होगी। अनुसंधानोपाधि समिति संस्कृतेतर भाषा में स्नातकोत्तर अध्ययन वाले विभागों में हिन्दी, अंग्रेजी अथवा भोट भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकती है। किन्तु आयुर्वेद संकाय के शोध प्रबन्ध संस्कृत में ही जमा किये जायेंगे। विशेष स्थिति में उन्हें हिन्दी अनुवाद सहित शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया जाना अनुमन्य हो सकेगा।

9.14- शोध प्रबन्ध में निम्न शर्तों की पूर्ति आवश्यक होगी -

(क) शोध प्रबन्ध नये तथ्यों या नये सिद्धान्तों का आविष्कार करता है। दोनों ही स्थिति में शोध प्रबन्ध शोधकर्ता के आलोचनात्मक समीक्षा और सुदृढ निर्णय शक्ति का प्रतिभान होना चाहिये। अभ्यर्थी को शोध प्रबन्ध में निर्दिष्ट करना होगा कि प्रबन्ध में कितना भाग उसके अपने अनुसंधान पर्यवेक्षण पर आधारित है तथा यह शोध किस सीमा तक विषय के ज्ञान को बढ़ाने वाला है।

(ख) शोध प्रबन्ध की भाषा शैली सन्तोषजनक होनी चाहिए तथा यह प्रकाशन के योग्य होना चाहिए।

(ग) शोधप्रबन्ध के साथ मार्ग निर्देशक का निम्न अभिकथनों वाला प्रमाणपत्र संयोजित होना चाहिए-

(अ) शोध प्रबन्ध शोध छात्र के स्वयं के अनुसंधान कार्य का परिणाम है।

(ब) शोध छात्र ने विभाग में अपेक्षित उपस्थिति पूरी की है।

(स) शोध छात्र ने अध्यादेश में निर्धारित अवधि तथा उसके अधीन शोध कार्य किया है।

(घ) अभ्यर्थी शोध प्रबन्ध के साथ शोध प्रबन्ध मूल्यांकन तथा मौखिक परीक्षा के लिए शुल्क रू. 10,000/- (दस हजार) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की स्थिति में रू. 5000/ (पाँच हजार) विश्वविद्यालय में जमा करेगा।

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

9.15- विश्वविद्यालय उपर्युक्त पद्धति विकसित करेंगे ताकि शोध प्रबन्ध/थीसिस जमा करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर विद्यावारिधि शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

परीक्षण एवं मूल्याङ्कन की विधि

10.01- निर्दिष्ट प्रमाणपत्र एवं शुल्क के साथ शोध प्रबन्ध प्राप्त होने पर चयनित परीक्षकों से स्वीकृति प्राप्त होने के दो सप्ताह के अन्दर शोध प्रबन्ध को मूल्याङ्कन हेतु भेजा जायेगा किसी भी स्थिति में इस कार्य में दो माह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

10.02(क) यदि परीक्षक यह विचार करते हैं कि शोध प्रबन्ध पर्याप्त स्तर का है तो संस्तुति करेंगे कि शोध प्रबन्ध को विद्यावारिधि उपाधि प्रदान करने के लिए स्वीकृत कर लिया जाय।

10.02(ख) संतोषजनक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनों के प्राप्त होने पर उन्हें परीक्षा समिति अथवा परीक्षक समिति द्वारा इस प्रयोजन से गठित उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

10.2(ग) यदि समिति संतुष्ट हो जाती है कि परीक्षक का प्रतिवेदन सर्वथा एकरूप तथा निश्चित है तो अभ्यर्थी को एक वाक् परीक्षा देनी होगी जिसमें दो परीक्षको होंगे, सामान्यतया एक परीक्षक शोध निर्देशक तथा दूसरा दोनों मूल्याङ्कनकर्ता बाह्य परीक्षकों में से एक होगा, एक परीक्षक देश के बाहर से भी हो सकता है।

10.02(घ) विभागाध्यक्ष वाक् परीक्षा की अध्यक्षता और कार्यवाही का संचालन करेगा **किन्तु वह निर्णय में सहभागी नहीं होगा।**

10.02(ङ) यदि मार्ग निर्देशक उपलब्ध नहीं है तो अध्ययन बोर्ड की संस्तुति पर विभागाध्यक्ष अथवा विभाग का अन्य ज्येष्ठ अध्यापक आन्तरिक परीक्षक का कार्य करेगा।

10.02(च) वाक् परीक्षा विश्वविद्यालय मुख्यालय पर होगी तथा उन सबके लिए खुली होगी जो विषय में रुचि रखते हैं, वाक् परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी से यह अपेक्षा होगी कि वह अपने शोध के निष्कर्षों को प्रस्तुत करे और उनकी युक्तिसंगत पुष्टि करे। संतोषजनक मौखिक परीक्षा के पश्चात् परीक्षा समिति यह संस्तुति करेगी कि अभ्यर्थी का परिणाम घोषित किया जाय और तदनुसार परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।

10.3(क) यदि परीक्षकों का बहुमत संस्तुति करता है कि अभ्यर्थी से उसके शोध प्रबन्ध में परिवर्तन के लिए कहा जाय तो कुलपति की अनुमति से इसे छः (06) माह के पश्चात् और अधिकतम उस अवधि में जो कुलपति द्वारा निर्धारित किया जाय परिवर्धित शोध प्रबन्ध पुनः प्रस्तुत किया जा सकेगा।

10.3(ख) जब अभ्यर्थी को शोध प्रबन्ध पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी तो उस स्थिति में शोध प्रबन्ध के पुनः प्रस्तुतिकरण के समय रू. 5000/- (पाँच हजार) शुल्क जमा करना होगा! किन्तु उसे विश्वविद्यालय में आने की उपस्थिति, आदि का प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करना होगा।

10.4(क) यदि परीक्षकों का मन्तव्य भिन्न-भिन्न है तो परीक्षा समिति यह निर्देश दे सकती है कि उनके प्रतिवेदन का आपस में विनिमय कर लिया जाय तथा परीक्षकों से यह अनुरोध किया जायेगा कि वे संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

10.4(ख) यदि प्रतिवेदनों के विनिमय के बाद भी मतभेद बना रहता है तो पूर्व स्वीकृत परीक्षक नामिका से शोध परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

28-08-2021 28/8/21 26.08.21 28/08/2021

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

परन्तु दो परीक्षक यदि मूल प्रतिवेदन में आवेदन के विनिमय के बाद प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह संस्तुत करते हैं कि शोध प्रबन्ध का पुनरीक्षण कर उसे पुनः प्रस्तुत किया जाय, तो सामान्यतः पुनरीक्षित शोध प्रबन्ध पुनः स्वीकृति प्राप्त करके उन्हीं परीक्षकों से मूल्यांकित कराया जायेगा।

परन्तु दो परीक्षको द्वारा मूल रूप से अथवा प्रतिवेदन विनिमय के पश्चात् यदि शोध प्रबन्ध अस्वीकृत मान लिया जायेगा तो अध्यादेश के 10.4(ख) की व्यवस्थानुसार मूल्याङ्कन कराया जायेगा।

10.05- ऐसे शोध प्रबन्ध जो विद्यावारिधि उपाधि हेतु स्वीकृत हो गये है उनके मूल्याङ्कन में अप्रयुक्त एक मुद्रित प्रति तथा सी॰डी॰ की एक प्रति विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सार्वजनिक उपयोग के लिए रखी जायेगी।

10.06- जो शोध प्रबन्ध उपाधि प्रदान किये जाने के लिए स्वीकार किये जा चुके हैं उनके परीक्षको एवं वाक् परीक्षा का प्रतिवेदन उपाधि प्रदान होने के पश्चात् अभ्यर्थी के लिखित अनुरोध पर उसे दिया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में निक्षेपण

11.01- मूल्याङ्कन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने और उपाधि स्वीकृत होने के 30 दिन के अन्दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शोध प्रबन्ध की एक सॉफ्ट कापी इन्फ्लिबनेट को वेब-साईट पर प्रदर्शित करने के लिए भेजी जायेगी।

11.02- दूसरी सॉफ्ट कॉपी विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

11.03 विश्वविद्यालय उपाधि पत्र के साथ इस आशय से तदर्थ (प्रोविजनल) प्रमाणपत्र भी निर्गत करेगा कि उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम॰फिल॰/पी-एच॰डी॰ के लिए न्यूनतम मानक प्रक्रिया) विनियम 2016 की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किया गया है।

28-8-2021 28/8/21 28/08/2021

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

CamScanner

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पाठ्यक्रम-कार्य

(विद्यावारिधि उपाधि हेतु पंजीकृत छात्रों के लिए)

नियमावली

(वर्ष 2009-2021 से लागू)

उक्त पाठ्यक्रम विद्यावारिधि का अङ्गभूत होगा। पाठ्यक्रम की अवधि छः माह (एक सेमेस्टर 90 कार्य दिवस) की होगी। विश्वविद्यालय के विद्यावारिधि अध्यादेश एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनिमय के अनुसार प्रत्येक शोध छात्र को एक सेमेस्टर का यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्व सम्पन्न करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् ही शोध-प्रबन्ध लेखन की अनुमति दी जायेगी।

उद्देश्य

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में पंजीकृत शोध छात्रों को शोध प्रविधि, संगणक (कम्प्यूटर) एवं स्व-विषय से सम्बन्धित शोध प्रकाशन समीक्षा का ज्ञान कराना।

प्रवेश-पात्रता

विश्वविद्यालय में विद्यावारिधि का (पी.एच.डी.) उपाधि हेतु पञ्जीकृत समस्त शोध छात्र।

शुल्क

विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क देय होगा।

सञ्चालन

पाठ्यक्रम का सञ्चालन विश्वविद्यालय के अनुसन्धन निदेशक के तत्त्वावधान में अनुसन्धान द्वारा होगा।

उपस्थिति

इस पाठ्यक्रम में 100% उपस्थिति अनिवार्य है। नियमानुसार 25% की छूट कुलपति के अनुमति पर देय होगा।

परीक्षा नियम

1. इस पाठ्यक्रम में तीन प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न 100-100 अङ्कों के होंगे। द्वितीय प्रश्न-पत्र (संगणक) में सैद्धान्तिक 60 अंक का एवं प्रायोगिक 40 अंक की होगी।
2. शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम संस्कृत/हिन्दी/अंग्रेजी होगा।

उत्तीर्णताक्रम निर्देश

1. इस पाठ्यक्रम की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 50% अङ्क प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. शोध प्रकाशन समीक्षा पत्र (तृतीय पत्र) के अन्तर्गत लघुशोध निबन्ध का परीक्षण सम्बन्धित विभाग में होगा। विभागद्वारा परीक्षणोपरान्त अङ्क अनुसन्धान संस्थान को उपलब्ध कराये जायेंगे। लघु शोध-प्रबन्ध (डिजर्टेशन) की भाषा वही होगा जो शोध-प्रबन्ध के लिए निर्धारित है। लघु शोध प्रबन्ध विभाग में जमा होने के पश्चात उसको [illegible] अनुसन्धान संस्थान को तत्काल प्रेषित करनी होगी।

प्रथम-पत्र

1. अनुसन्धान पद्धति
   1. अनुसन्धान का स्वरूप एवं सीमा

22-8-2021

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

क. अनुसन्धान शब्द की अवधारणा-

(अ) परम्परागत अथवा प्राचनी दृष्टि - भाष्य (चूर्णि) व्याख्या, टीका टिप्पणी, अध्ययन, बोध (स्वाध्याय), आचरण (प्रवचन), प्रचारण (व्यवहार)।

(ब) आधुनिक दृष्टि - अन्वेषण, शोध, गवेषणा, परिशीलन, अनुसन्धान, अनुसन्धान कला।

2. संस्कृत वाङ्मय में अनुसन्धान

क) वैदिक लौकिक दर्शन के क्षेत्र में

ख) मातृका सम्पादन, पाठ समीक्षात्मक सम्पादन के क्षेत्र में।

घ) नित्य नूतन हो रहे अनुसन्धान के क्षेत्र में।

2. अनुसन्धान के प्रकार, विषय चयन एवं संक्षिप्तिका

क) भेद

1. विमर्शात्मक शोध
2. विश्लेषणात्मक शोध
3. तुलनात्मक शोध (अन्तर्विषयी)
4. ऐतिहासिक शोध
5. प्रयोगात्मक शोध

ख) अनुसन्धान विषय के मूल सिद्धान्त

अभिरुचि, योग्यता, विषय प्राधान्य, सामग्री समुपलब्धि, शीर्षक निमार्ण की संकल्पना, शोध प्रबन्ध की रूपरेखा,विमर्शात्मक शोध-प्रबन्ध एवं मातृकाकृत शोध-प्रबन्ध के प्रस्तावक मूल बिन्दु।

3. सामग्री-संकलन के मूल स्रोत

1. प्राथमिक स्रोत – मूलग्रन्थ, व्याख्या, पुरातात्विक आधार, शिलालेख, शासकीय अभिलेख।
2. आनुषङ्गिक स्रोत - साहित्येतिहास, ग्रन्थ सूची, शोध पत्रिका, कोश एवं अन्य लेख।
3. आधुनिक शोध संसाधन - अन्तर्जाल, ई.शोधपत्रिका, ई.कोश।
4. विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों के द्वारा
5. प्रकाशक आदि स्रोत से

सामग्री संकलन पद्धति

प्रश्नावली पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, शोध-पत्र, निदर्श-सूची निर्माण मापन सूची। सर्वेक्षण केस स्टडीज

4. पाठ समालोचना एवं सम्पादन

पाठालोचन सम्पादन प्रक्रिया, पाठ समालोचना
पाण्डुलिपि के प्रकार, आधार, प्रमुख लिपियाँ

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

ऐतिहासिक सर्वेक्षण

प्रमुख पाण्डुलिपि ग्रन्थालय, प्रमुख सूचीपत्र

अध्ययन/वाचन की पद्धतियाँ-परम्परागत एवं आधुनिक पाठ समालोचनात्मक मूलतत्त्व।

5. शोध प्रबन्ध निमार्ण के मूल सिद्धान्त एवं प्रस्तुति

1. शोधप्रबन्ध का स्वरूप, उद्देश्य, निर्माण क्रम, भाषा, लेखन रीति, पूर्व शोध का सर्वेक्षण।
2. शोध प्रबन्ध का निर्माण, निष्कर्ष शोध सारांशिका
3. अनुबन्ध सूची -- श्लोक सूची, पद सूची, पारिभाषिक पद सूची
4. ग्रन्थ सूची निर्माण
5. उद्धरण के नियम, पाद टिप्पणी के नियम
6. प्रेस कापी का निर्माण

सन्दर्भ सामग्री

1. आचार्य सत्यनारायण – संस्कृत शोध प्रविधिः।
2. त्रिपाठी भागीरथ – अनुसन्धान पद्धति – सारस्वती सुषमा, 23 वर्ष 2-3।
3. आचार्य नगेन्द्र – अनुसन्धान प्रबन्ध प्रक्रिया – राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली।
4. त्रिपाठी-रुद्रदेव – अन्वेषण विशेषाङ्क, लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।

28-8-2021 28/8/21 28/08/2021

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

(17)

(18)

द्वितीय प्रश्न पत्र

Computer Applications

Max Marks : 100

MARKS : 35

UNIT-I

FUNDAMENTAL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY

Data and Information

History of development of computers and generations of computer.

Computer system concept.

Computer system characteristics.

Types of computer – Analog, Digital, Hybrid, General purpose, Special purpose, Micro, Mini, Mainframe, Super.

Typers of PC's – Desktop, Laptop, Notebook, Palmtop etc their characteristics.

Basic components and block diagram of computer system – Control unit, ALU, Input/Output and Memory, their functions and characteristics.

RAM & ROM – EPROM, PROM etc.

Input devices, Output devices, Storages devices.

Data representation in computers. Fundamental of Number system of computers.

Computer, software and Hardware.

Operating System – Introduction and functions of DOS and Windows

Compilers and Interpreter

UNIT-II

Word processing and Point

Marks : 35

Introduction to Word Processing.

Introduction to MS Word : Features, Creating, Saving and Opening document in Word, Interface, Toolbars, Ruler, Menus, Keyboard Shortcuts and Devnagari fonts.

Editing a document : Moving, Scrolling in a document, Opening Multi document windows, Editing, Text-Selecting, Inserting, Deleting, moving text, Previewing documents, Printing documents – Print a document from the standard toolbar, Print a document from the menu, Shrinking a document to fit a page, Reduce the number of pages by one.

Formatting Document : paragraph formats, Aligning Text and Paragraph, Borders and Shading, headers and footers, multiple columns, Find and Replace, Checking the grammar and spelling, Formatting via find and Replace.

Introduction to Powerpoint

Creating presentation using slide master and templates in various colour scheme.

23/3/21 28-8-2021 28/8/21 22/08/2021

कुलसचिव

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

वाराणसी

Working with different views and menus of power point.

Working with slides - Make a new slide, move, copy, delete, duplicate, layouting of slide, zoom in or out of a slide.

Editing and formatting text : Alignment, editing, inserting, deleting, selecting, formatting of text, find and replace text, bullets, footer, paragraph formatting spell checking.

UNIT --III

Worksheet and Internet

Introduction to MS Excel

Worksheet basics

Creating Worksheet, entering data in worksheet, heading information, data, text, dates, alphanumeric values, saving and quitting worksheet.

Auto sum

Formatting of worksheet - Auto format, changing-alignment, character styles, column width, date format, borders and colours, currency sing.

Previewing and Printing worksheet - Page setting, Print titles, Adjusting Margins, Page break, headers and footers.

Graphs and Charts - using wizards, various charts type, formatting grid lines and legends, previewing and printing charts.

Introduction to Internet

World Wide Web (WWW) - Working, Wed Browsers, Its functions, Concept of search, Engines, Searching the Web.

E-mail - Concepts, POP and WEB based E-mail, merits, address, basics of sending and Receiving, E-mail Protocols, Mailing list, Free E-mail services.

LAB : All the above Applications will also practically taught in computer lab.

Reference Books

1. Introduction to computers, Peter Norton, Tata Mcgraw Hill
2. Computers Fundamental Architecture and Organisation, B.Ram New Age International
3. Digital Fundamental. Thomas L. Floid, Universal Book Stall
4. Working in Microsoft office, Ron Mansfields, Tara Mcgraw Hill
5. Introduction to MS Office and internet, BPB publications

28-8-2021

28/8/21

28/08/2021

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

प्रश्न-पत्र तृतीय

शोध प्रकाशन समीक्षा

छात्र विभागीय अनुसन्धानोपाधि समिति द्वारा संस्तुत, स्नातकोत्तर विषय मे सुसङ्गत विषय से सम्बद्ध, विभागीय मार्ग निर्देशक अध्यापक के निर्देशन में लघुशोधनिबन्ध (न्यूनतम 50 पृष्ठों का) विषयसूची से लेकर सन्दर्भग्रन्थ सूची पर्यन्त प्रस्तुत करेगा। जिसमें सम्बन्धित विषय की शोध साहित्य समीक्षा सम्मिलित होगी।

28-8-2021

28/8/21

28/08/2021

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी